न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 11/2016
प्रविष्टि दिनांकः— 01—07—2016

रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति कीर निवासी ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

..... आवेदक

बनाम

1. रामरस पुत्र मांगीलाल जाति कीर निवासी ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2—भू आवंटन सलाहकार समिति, केम्प भासू तहसील टोडारायसिंह जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

.....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970
विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 11.01.2011

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन/शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री रामदेव बैरवा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 05—04—2018

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सार इस प्रकार है कि भू—आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प भासू तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 11—01—2011 को अप्रार्थी संख्या 1 रामरस पुत्र मांगीलाल जाति कीर निवासी ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 2009/4754 रकबा 0.09 हे0 वाके ग्राम भासू का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है जिसे आवेदक ने आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3— प्रार्थी (आवेदक) द्वारा दस्तावेजात में प्रतिलिपी पत्रावली आवण्टन 11.01.2011, नक्शाट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2070—2073, फोटो प्रति जमाबंदी संयुक्त सम्वत 2070—2073 प्रस्तुत की है।

4— बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटित भूमि खाली है या नहीं जिसकी कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई, आवंटन से पूर्व ही उक्त भूमि पर आवेदक का बराबर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 2009 रकबा 1.01 हे. क उत्तरी ओर समीपस्त स्थित होने से यह भूमि स्माल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आफ लेण्ड की तारीफ में आने से आवेदक व विपक्षी दोनों को उक्त भूमि को नियमन/खातेदारी प्राप्त करने का हकदार थे क्योंकि खसरा नम्बर 2009 के खातेदार आवेदक व विपक्षी है और उक्त आवंटनशुदा भूमि के उत्तरी ओर अडवा ही आम रास्ता है। इसलिए इस आम रास्ते से आवंटन शुदा भूमि में होकर आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि में आता जाता रहा है उसके बावजूद विपक्षी ने साज कर मौके के विपरीत जाकर उक्त भूमि का आवंटन करवाया है, आवेदक को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया और न ही उक्त भूमि को आवंटन करने बाबत कोई उदघोषणा ही जारी की गई, न ही भूमि की सूची तैयार करवायी गई। विपक्षी का कभी भी इस जमीन पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि मौके पर आवेदक की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2009 में मिली हुई भूमि है और मोके पर एक खेत बना हुआ है। विपक्षी ने उक्त भूमि को आवंटन के पश्चात कभी काश्त नहीं किया जबकि आवंटन नियमों के अनुसार वर्ष में 1/50 भूमि एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना जैनी आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। इन सभी तथ्यों से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 की और से दोराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार था जिसके पास एक बिस्वा भी भूमि नहीं थी, ऐसी परिस्थितियों में आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु विधिवत रूप से फार्म भरकर पेश किया जिस पर नियमानुसार बाद जांच पटवारी हल्का रिपोर्ट की रिपोर्ट आवंटी काश्तकार होने की पेश की थी। आवंटी का आवंटन तिथी से वर्तमान तक में कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका अंकन खसरा गिरदावरी में भी है, जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त आवंटित भूमि स आवेदक का कोई सम्बन्ध नहीं है। आवेदक व प्रतिपक्षी सं0 1 सगे भाई है, दोनों में पारिवारिक विवाद होने के कारण आवेदक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे।

6— हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू–आवण्टन सलाहकार समिति ने केम्प भांवता तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 11–01–2011 को अप्रार्थी संख्या रामरस पुत्र मांगीलाल जाति कीर निवासी ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 2009/4754 रकबा 0.09 हे0 वाके ग्राम भासू का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही उसका व विपक्षी का बहिस्सा कब्जा चला आ रहा है किन्तु इस संबंध में जो जमाबन्दी आवेदक द्वारा पेश की गई है वह आवंटन के बाद की प्रस्तुत की है आवंटन के समय अथवा पूर्व की नहीं। इसका तात्पर्य है कि आवंटन से पूर्व आवंटन के समय भूमि खाली व सिवायचक ही थी जो आवंटन योग्य थी तथा प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियो से भी भूमि सिवायचक होना सिद्व है। आवेदक का यह कथन कि आवेदक को उक्त भूमि से कभी बेदखल नहीं किया गया, जब आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं था तो बेदखली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विपक्षी आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा इस संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है, भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

पडेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 11–01–2011 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सिद्व नहीं है। जहां तक उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर किया गया है तथा आवंटी को आवंटित भूमि का सुपुर्दगीनामा भी दिनांक 11.02.2011 को दिया जा चुका है। यदि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक